संख्या-सा-3-769 /दस-901/96

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 1996

विषयः- राजकीय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पहचान-पत्र निर्गत किया जाना - अन्तिम तिथि में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-769/दस-96-901/96 दिनांक 26-6-1996 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था की गई है कि पहचान-पत्र वितरण से संबंधित सभी प्रक्रिया प्रत्येक दशा दिनांक 25 अगस्त, 1996 तक पूर्ण कर ली जायेगी। दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से पेंशन का भुगतान पी0पी0ओ0 के साथ पहचान-पत्र लाने पर ही किया जायेगा।

2- शासन को जानकारी में यह तथ्य आया है कि अभी आपके कोषागारों से सम्बद्ध समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को परिचय-पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं या पेंशनर / पारिवारिक स्वयं ही उपस्थित नहीं हो सके है। ऐसी दशा में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि परिचय-पत्र वितरित करने की वर्तमान में निर्धारित अन्तिम तिथि से दो माह के लिए बढ़ा दी जाए अर्थात परिचय-पत्र वितरित करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25-10-1996 तक होगी तथा दिनांक 1-11-1996 को पेंशन प्राप्त करने के समय संबंधित पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर पी0पी0ओ0 के साथ अपना परिचय-पत्र भी

कोषागार में प्रस्तुत करेंगे।

3- उपरोक्त परिवर्तन के संबंध में आप अपने कोषागारों के सूचना पटल पर आवश्यक सूचना चस्पा कर देंगे जिससे कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को समय से समुचित जानकारी हो सके। यह भी सुनिश्चित करें कि इस पुनरीक्षित अवधि के भीतर ही समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को परिचय-पत्र वितरित कर दिया जाए।

भवदीय,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3- 939§ 1§/दस-96-901/96तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना विभाग , उ0प्र0 को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।